संख्या 618 / 9—9—2012—277ज / 2011

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग—9 लखनऊः दिनांक 05 अप्रैल, 2012

विषय :— विज्ञापन / प्रचार से सम्बन्धित ठेकों का स्थगन समाप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या म0.01 / 09—09—2011—277ज / 11 दिनांक 29.03.2012 एवं संख्या 580 / 9—9—2011—277ज / 11 दिनांक 30.03.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिये प्रदेश में विज्ञापन / प्रचार से सम्बन्धित ठेकों को अग्रिम आदेशों तक रोकने तथा विज्ञापन / प्रचार से सम्बन्धित शुल्क / कर आदि की वसूली विभागीय रूप से कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2... प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जनहित में शासनादेश संख्या म0.01 / 09—09—2011—277ज / 11 दिनांक 29.3.2012 एवं संख्या 580 / 9—9—2011—277ज / 11 दिनांक 30.03.2012 एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

3.. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञापन / प्रचार के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः

1. विज्ञापन या विज्ञापन पट की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन—पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जाय, जिसमें आवेदक का पूर्ण विवरण, विज्ञापन या विज्ञापन पट की अवस्थिति, आकार, प्रकार, विशिष्टियॉ, स्थल मानचित्र और अन्य सुसंगत सूचनायें, आदि का पूर्ण समावेश हो। आवेदन—पत्र का विक्रय मूल्य भी निर्धारित किया जाय और यह व्यवस्था की जाय कि इसे सीधे डाउनलोड किया जा सके और आवेदन—पत्र जमा करते समय इसका मूल्य जमा करा लिया जाय।
2. विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायें जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद, निर्बाध गमनागमन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हों।
3. प्रत्येक नगर में विज्ञापन या विज्ञापन पट हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाय। ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी स्थिति में प्रतिष्ठापित न होने दिया जाय।
4. किस स्थल पर किस आकार—प्रकार का, किस ऊँचाई का, किन विशिष्टियों का विज्ञापन या विज्ञापन पट लगाया जायेगा, इसका भी निर्धारण किया जाय।
5. विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

6. विज्ञापनों को वृक्षों, बल्लियों, बाँस या लकड़ी से [illegible] गया। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि विज्ञापनों से [illegible] हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार से विरूपित न हो।

7. जनहित में विज्ञापन या विज्ञापन–पट की अनुमति कभी भी समाप्त की जा सकेगी और विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाया जा सकेगा।

8. शर्तों अथवा आदेशों की अवहेलना करने पर विज्ञापन / विज्ञापन पट तत्काल हटा दिये जायें तथा सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

9. विज्ञापन कर अथवा इससे सम्बन्धित अन्य देय शुल्कों का नियमानुसार निर्धारण किया जाय और शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाय।

10. कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित और निकाय हित के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रकृति के नहीं होने चाहिये।

11. स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये नियम एवं शर्तों की संरचना कर तदनुसार उन्हें लागू किया जाय।

4. इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्णरूप से पारदर्शी हो तथा उसका व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाय। उपर्युक्त निर्देश केवल सुझावात्मक हैं। इस सम्बन्ध में यदि मा0 उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के अन्यथा आदेश हों तो उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2.समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (द्वारा निदेशक,स्थानीय निकाय, उ0प्र0)

3.मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

4.नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

05/4/2012

संख्या 580 /9—9—2012—277 ज/11

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश ।

नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग—9 लखनऊ: दिनांक: मार्च 30, 2012

विषय :: **विज्ञापन/प्रचार से सम्बंधित ठेकों का स्थगित किया जाना ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के आदेश संख्या मं—01/9—9— 2011 —277 ज/11, दिनांक 29 मार्च, 2012 का अवलोकन करें जिसके द्वारा प्रदेश में **विज्ञापन/प्रचार से सम्बंधित ठेकों को अग्रिम आदेशों तक तत्काल रोकने तथा विज्ञापन/प्रचार से सम्बंधित शुल्क/कर आदि की वसूली विभागीय रूप से कराये जाने** के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

इस सम्बंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि **यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिये प्रभावी होगी। तदनुसार शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।**

इन आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
2—समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0)
3—मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग के निजी सचिव को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4—नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

30/03/2012

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-स्म.3/9-9-2012-160ज/11

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश ।

नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश ।

र विकास अनुभाग—9 लखनऊ: दिनांक-30-3-2012

विषय ::**वर्ष 2012—13 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दिये जाने वाले शुल्कों की वसूली के ठेकों के सम्बन्ध में ।**

महोदय

शासन के संज्ञान में आया है कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2012—13 के लिए विभिन्न प्रकार के शुल्कों की वसूली के ठेके दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनहित में किसी प्रकार के शुल्कों की वसूली संबंधी ठेके वर्ष 2012—13 के लिये अग्रिम आदेशों तक न दिये जांय और जो शुल्कों की वसूली के ठेके दिनांक 31—03—2012 को समाप्त हो रहे हों, उनकी अवधि वर्ष 2012—13 के लिये ~~[illegible]~~ अपेक्षित (10 प्रतिशत) वृद्धि के साथ अग्रिम आदेशों तक के लिये बढ़ा दी जाय।

भवदीय,

30-03-2012

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश
2—समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचयत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0)
3—मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग के निजी सचिव को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ
4—नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

/

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-801/9-9-2012-14/11

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग--9 लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2012

विषय: विज्ञापन/प्रचार से सम्बन्धित ठेकों का स्थगित किया जाना।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में विज्ञापन/प्रचार से सम्बन्धित ठेकों को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञापन/प्रचार से सम्बन्धित समस्त ठेकों को अग्रिम आदेशों तक तत्काल रोक दिया जाय। उक्त कार्य अग्रिम आदेशों तक नागर निकायों द्वारा सम्पादित किया जायेगा तथा शुल्क/कर आदि की वसूली विभागीय रूप से की जायेगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
3. मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
29/03/2012

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।